भारी / प्रमुख सचिव
14/10/19
भारी
14/10/19

संख्या–2500/33–3–2019-20/2019

**प्रेषक,**

**प्रीति शुक्ला,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
**2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

**पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 14 अक्तूबर, 2019**

**विषय–पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलापरक कार्यक्रमों/गतिविधियों के अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

पंचायतीराज विभाग जनसमुदाय विशेषकर महिला प्रतिनिधियों के क्षमतासंवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे कि समुदाय के विकास में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए एक स्वस्थ एवं विकसित समाज की स्थापना की जा सके और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं संवर्द्धन किया जा सके।

विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत महिलाओं हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन गतिविधियों के अनुपालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

**अ– राज्य वित्त आयोग :–**

1– राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से ''प्रिट'' के माध्यम से जनपद एवं विकास खण्ड में निर्वाचित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत के सभापतियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों आदि हेतु समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षणों का संचालन किया जाता है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

2– महिला प्रतिनिधियों के आयोजित विकास खण्ड एवं जनपदस्तरीय प्रशिक्षणों में आधारभूत प्रशिक्षण, विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त नेतृत्व विकास, लिंग विभेदीकरण, आत्मनिर्भरता एवं अन्य सामाजिक संवेदनशील मुद्दों को भी सम्मिलित किया जाये।

3– उक्त बिन्दुओं पर जनपद एवं राज्य स्तर से नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये तथा भ्रमण की अवधि में प्रतिभागियों विशेषकर महिला प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्रदान किये गये विषय एवं उन विषयों से उनके अन्दर आये बदलाव तथा उनके पंचायत के विकास में योगदान पर वार्ता कर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

4– इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार ''प्रिट'' द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किये जाएंगे।

**ब– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान :–**

1– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार महिला प्रतिनिधियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गुणवत्तापरक ढंग से संचालित कराया जाये।

2– महिला प्रतिनिधियों को सहभागी नियोजन (ग्राम पंचायत विकास योजना), पी0ई0एस0 एप्लीकेशन तथा ऑनलाइन भुगतान आदि विषयों पर योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाये।

Amit Sri.

3– प्रशिक्षण कार्य, पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर/डी0आई0आर0डी0/अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से आयोजित कराये जाये।

4– ग्राम सभा की बैठकों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

5– योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण इस प्रकार आयोजित किये जाये कि महिलाएं सहभागीं नियोजन में अपना योगदान दे सकें।

6– आवश्यतानुसार महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दों पर ग्राम सभा की बैठक से पूर्व महिला सभा एवं बाल सभाओं का आयोजन किया जाये, जिससे उनसे जुड़े विषयों/समस्याओं की पहचान कर उस पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

7– उक्त बिन्दुओं पर जनपद एवं राज्य स्तर से नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संदर्भ सामग्री एवं योग्य प्रशिक्षक के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने का अनुश्रवण किया जाये।

**स– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)**

1– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित महिला मुखिया परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

2– समस्त महिला प्रधानों के घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

2– एल0ओ0बी0 सर्वेक्षण में छूटे हुए पात्र महिला परिवारों को सम्मिलित करते हुए यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्राम पंचायत में कोई भी महिला शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे।

3– ग्राम पंचायत मांग के आधार पर जनपदों में पंचायत उद्योगों के माध्यम से संचालित सैनेटरी/मैटरनिटी पैड यूनिट में उत्पादित सैनेटरी/मैटरनिटी पैड की उपलब्धता भी किशोरियों एवं महिलाओं को कराने पर विचार कर सकती है।

4– इस प्रकार से राज्य एवं जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण की अवधि में महिलाओं हेतु व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता एवं उसके उपयोग का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

**भवदीय,**

**(प्रीति शुक्ला)**
सचिव।

**संख्या व दिनांकः– तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, पंचायती राज /मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

14/10/14

**आज्ञा से,**

**(जोगेन्द्र प्रसाद)**
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.